न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 91/2023

उनवान

संजू पत्नी भंवरलाल जाति जाट नि0 ग्राम नान्दला, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मान सिंह पुत्र पूसा,
2. उदय सिंह पुत्र पूसा सिंह जाति रावत नि0 भवानीखेडा, नसीराबाद,
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 2 अनुपस्थित
3 जरियें राज. पैराकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :—

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के हाल खसरा नमबर 2660 रकबा 0.51 की आराजी वादी की खातेदारी की है उक्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु वादी की खातेदारी आराजी हडपने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने उक्त आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी व बेदखल करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तललब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 2660 रकबा 0.51 की आराजी वादी की एकल खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार निहित नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उनके द्वारा वादी की खातेदारी आराजी में बिना किसी कारण के दखलदांजी की जाती है तो वादी के हित प्रभावित होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:32:59 IST
Reason: SelfAttested

आराजी मुतनाजा वादी की एकल खातेदारी की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नमबर 2660 रकबा 0.51 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:32:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

संजू बनाम मान सिंह

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 91/2023
पेश करने की दिनांक – 07.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुद्दई सीताराम रावत अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नमबर 2660 रकबा 0.51 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक–––––––– को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 9 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:32:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद